कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या /143/ XXV–12 / 2008(P-2) देहरादून : दिनांक 7 मार्च, 2013

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी एवं
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
लाडपुर रिंग रोड़,
मसूरी बायपास, देहरादून।

विषयः- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र के हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री शिव चरण सिंह, निवासी डिग्री कॉलेज रोड़, जौनपुर, पो0ओ0 कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत वांछित 05 बिन्दुओं से संबंधित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आपके कार्यालय/विभाग से संबधित हैं।

अतः कृपया आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि श्री विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री शिव चरण सिंह, निवासी डिग्री कॉलेज रोड़, जौनपुर, पो0ओ0 कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

सेवामें,

श्रीमती राधा रतुड़ी जी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड

देहरादून

प्रेषक :–विजय सिंह S/O स्व0 श्री शिव चरण सिंह

डिग्री कोलेज रोड जौनपुर

पो0 कोटद्वार गढ़वाल 246149

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचित करने की कृपा किजिएगा।

1) – बाल विकास परियोजना में सम्मिलित आँगनबाड़ी कार्यकत्री जो मानदेय प्राप्त करती हों अर्थात वेतन भोगी न हो। नगर निकाय के निर्वाचन में प्रत्याशी बन सकती है अथवा नहीं।

2) – यदि हाँ तो क्या इसके लिए उन्हें अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण – पत्र की आवश्यकता होगी।

3) – यदि वह निर्वाचित हो जाती है तो क्या वह आँगनबाड़ी कार्यकत्री तथा नगर – निकाय सभासद दोनों सेवाओं में समानांतर बनी रह सकती है।

4) – यदि हाँ तो इसके लिए निर्धारित नियम व शर्तें क्या हैं।

5) – यदि नही तो क्यों ?

भवदीय

विजय सिंह S/O स्व0 श्री शिव चरण सिंह

डिग्री कोलेज रोड जौनपुर

पो0 कोटद्वार गढ़वाल 246149

mobile no.- 8923167275

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Chief election Commissioner Uttarakhand को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

AT THE POST OFFICE AT Dehradoon के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Vijay Singh
S/o Late Shivcharan Singh
Degree college Road
Johnpur Kotdwar Garhwal.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

12F 479835

सेवामें,

श्रीमती राधा रतुड़ी जी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड

देहरादून

प्रेषक :–विजय सिंह S/O स्व0 श्री शिव चरण सिंह

डिग्री कोलेज रोड जौनपुर

पो0 कोटद्वार गढ़वाल 246149

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचित करने की कृपा किजिएगा।

1) – बाल विकास परियोजना में सम्मिलित आँगनबाड़ी कार्यकत्री जो मानदेय प्राप्त करती हों अर्थात वेतन भोगी न हो। नगर निकाय के निर्वाचन में प्रत्याशी बन सकती है अथवा नहीं।

2) – यदि हाँ तो क्या इसके लिए उन्हें अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण – पत्र की आवश्यकता होगी।

3) – यदि वह निर्वाचित हो जाती है तो क्या वह आँगनबाड़ी कार्यकत्री तथा नगर – निकाय सभासद दोनों सेवाओं में समानांतर बनी रह सकती है।

4) – यदि हाँ तो इसके लिए निर्धारित नियम व शर्तें क्या हैं।

5) – यदि नही तो क्यों ?

भवदीय

विजय सिंह S/O स्व0 श्री शिव चरण सिंह

डिग्री कोलेज रोड जौनपुर

पो0 कोटद्वार गढ़वाल 246149

mobile no.- 8923167275

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 129 / xxv–12 / 2008(P-2) देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2013

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
कमरा न0-10, अम्बेडकर हॉस्टल,
ए-ब्लॉक, सी0एस0ए0यू0ए0 एण्ड टी0, कानपुर,
उत्तर प्रदेश, पिन-208002

विषयः- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 49 (1)/xxxi(13)G/13 दिनांक 20 फरवरी, 2013 के माध्यम से इस कार्यालय को हस्तान्तरित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने आवेदन पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। आपके उक्त सन्दर्भित आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-3, जो आंशिक रूप से इस कार्यालय से संबंधित है, के क्रम में अवगत कराना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-19 एवं 20 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में निहित प्राविधानों के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नियमानुसार पंजीकृत निर्वाचक राज्य के विधान सभा चुनाव के लिए मतदान का प्रयोग कर सकता है। राज्य के Domocile के लिए पात्रता से संबंधित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

2- यदि आप उक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न हों तो विभागीय लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 129 /XXV-12/2008(P-2), तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी / अनु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– /xxxi(13)G–19 (सू0अ0)/2013
देहरादून : दिनांक: 20 फरवरी, 2013

श्री मनोज कुमार,
कमरा नं0–10, अम्बेडकर हॉस्टल,
ए–ब्लाक, सी0एस0ए0यू0ए0 एण्ड टी0
कानपुर, पिन–208002

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने अनुरोध पत्र 31–01–2013 जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–81/XXXV–2/51–लो0सू0अ0/2013 दिनांक 18 फरवरी, 2013 के माध्यम से इस विभाग में प्राप्त हुआ है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके अनुरोध पत्र दिनांक 31–01–2013 में उल्लिखित बिन्दु सं0–1, 2 एवं 3 पर निम्नवत अवगत कराना है–

बिन्दु सं0–1 एवं 2 पर सूचना प्रश्न के रूप में अभिलिखित है जिसका उत्तर दिया जाना लोक प्राधिकारी स्तर पर बाध्यकारी नहीं हैं। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा इस सन्दर्भ में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है, अपितु शासनादेश सं0–460/XXXi(13)G/2007 –53(1)/2007, दिनांक 27 जून 2007 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश सं0–89/तीन–96–77 (11)/83/सा0प्र0 अनु0, दिनांक 20–02–1996 के उद्वरण समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

बिन्दु सं0–3 पर सूचना प्रश्न के रूप में अभिलिखित है जिसका उत्तर दिया जाना लोक प्राधिकारी स्तर पर बाध्यकारी नहीं हैं। फिर भी अवगत कराना है कि राज्य के विधान सभा चुनावों के लिए वोट डालने सम्बन्धी कार्य निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अन्तरित किया जा रहा है। साथ ही आपके बिन्दु सं0–3 की सूचना **"यदि उत्तराखण्ड का नागरिक मानते हुए शासन प्रार्थी को वोट डालने का अधिकार देता है तो क्या प्रार्थी राज्य के Domicile के लिए पात्र नहीं है"** पर जहां तक Domicile का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तर–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

उपरोक्त उल्लिखित सूचना से यदि आप सन्तुष्ट न हों तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी जिनका पद एवं पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम व पता:–
श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,
विभागीय अपील अधिकारी/सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
चतुर्थ तल, नई बिल्डिंग,
4–सुभाष रोड़, देहरादून
फोन न0–0135–2651833

(जे0एल0 शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव

संख्याः 49 (1)/xxxi(13)G/13– 19(सू0अधि0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अनुरोधकर्ता श्री मनोज कुमार, कमरा नं0–10, अम्बेडकर हॉस्टल, ए–ब्लाक, सी0एस0ए0यू0ए0 एण्ड टी0 कानपुर के अनुरोध पत्र दिनांक 31–01–2013 की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से प्रेषित कि अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0–3 आपके विभाग से सम्बन्धित होने पर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2– लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–81/xxxv–2/51–लो0सू0अ0/2013 दिनांक 18 फरवरी, 2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0एल0 शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव

49/XXXI(13)5/13

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2
सं0/ 81 /XXXV-2/51–लो0सू0अ0/2013
देहरादून : दिनांक 18 फरवरी, 2013

लोक सूचना अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री मनोज कुमार, कमरा नं0–10, अम्बेडकर हॉस्टल, ए–ब्लाक, C.S.A.U.A&T कानपुर, पिन–208002 का पत्र दिनांक 31.01.2013 एवं रू0 5–5/–(कुल रू0 10/–) के दो पोस्टल आर्डर जो इस कार्यालय को दिनांक 15.02.2013 को प्राप्त हुये है, को मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग से संबंधित होने के कारण वांछित सूचना आपके स्तर से उपलब्ध कराई जानी है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त सूचना अधिनियम/नियमों की व्यवस्थानुसार आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त

(गिरीश चन्द्र डालाकोटी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।

यू0ओ0सं0/ /XXXV-2/51–लो0सू0अ0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री मनोज कुमार, कमरा नं0–10, अम्बेडकर हॉस्टल ए–ब्लाक, C.S.A.U.A&T कानपुर, पिन–208002 को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना इस लोक प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है। तद्नुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है।

इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है, कि भविष्य में प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु उपरोक्त विभाग के लोक सूचना अधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(गिरीश चन्द्र डालाकोटी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।

(जे0एल0 शर्मा)
अनुसचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार
19/2/2013

सेवा में,
जनसूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी मूल रूप से उ०प्र० राज्य का निवासी है तथा प्रार्थी का जन्म सन् 1984 में उत्तराखण्ड स्थित रुड़की के सैनिक अस्पताल मे हुआ था तथा तभी से प्रार्थी अपने माता-पिता व भाई-बहनों के साथ उत्तराखण्ड मे Military Quarters तथा Civil मे निवास करता आ रहा है। प्रार्थी के पिता ने वर्ष 2004 मे उत्तराखण्ड राज्य मे जमीन खरीदी तथा सन् 2005 मे इसी भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। साथ ही साथ प्रार्थी ने प्रदेश से ही शिक्षा ग्रहण की है। प्रार्थी के पिता उत्तराखण्ड राज्य के जिला सैनिक पुनर्वास कार्यालय मे भी पंजीकृत है तथा प्रार्थी का समस्त परिवार Voter List मे भी शामिल है।

अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि इस संबंध मे निम्न सूचनायें देने का कष्ट कीजिए-

1) उत्तराखण्ड राज्य का Domocile प्राप्त करने के लिए क्या नियम व शर्तें लागू होती है? लिखित प्रमाण दीजिए

2) क्या प्रार्थी उपरोक्त सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के Domocile के लिए पात्र है? लिखित प्रमाण दीजिए

3) राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वोट कौन डालता है? उत्तराखण्ड का नागरिक या कोई भी? यदि उत्तराखण्ड का नागरिक मानते हुए शासन प्रार्थी को वोट डालने का अधिकार देता है तो क्या प्रार्थी राज्य के Domocile के लिए पात्र नहीं है? लिखित प्रमाण दीजिए

आज प्राप्त
5/7/2013

(... चन्द्र भालाकोटी)
.../लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय

घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ तथा इस पत्र के साथ -पाँच रुपये के दो भारतीय पोस्टल आर्डर जिनका नं० 812056 तथा 812057 है तथा दिनांक 31/01/2013 को जारी किये गये है प्रेषित कर रहा हूँ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार प्रार्थी को 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए।

दिनांक
31/01/2013

प्रार्थी
Manojkumar
मनोज कुमार

पत्राचार पता-: MANOJ KUMAR
ROOM No.10
AMBEDKAR HOSTEL
A-BLOCK
C.S.A.U.A&T KANPUR
PIN-208002

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 144/XXV–12/2008(P-2) देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2013

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी एवं
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
लाडपुर रिंग रोड़,
मसूरी बायपास, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र के हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव/ लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 19 /XXXV-2/10-लो0सू0अ0/2013 दिनांक 09 जनवरी, 2013, जो इस कार्यालय को दिनांक 07 मार्च, 2013 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से प्राप्त श्री अशोक सड़ाना, ऋषि टॉवर, गली न0-2, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, जनपद देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आपके कार्यालय/विभाग से संबधित हैं।

अत: कृपया आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव/ लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2- श्री अशोक सड़ाना, ऋषि टॉवर, गली न0-2, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, जनपद देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

D:\Revision of Roll\Revision of PER@1-1-2013\officepad

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 07/03/13
रजिस्टर क्रमांक– 51 पत्रावली संख्या–

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2
सं0/ 19 /XXXV-2/10–लो0सू0अ0/2013
देहरादून : दिनांक 9 जनवरी, 2013

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री अशोक सडाना, ऋषि टॉवर गली नं0–2, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून का पत्र दिनांक 31.12.2012 एवं रू0 10/– का स्टाम्प पेपर जो इस कार्यालय को दिनांक 09.01.2013 को प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग से संबंधित प्रतीत होने के कारण वांछित सूचना आपके स्तर से उपलब्ध कराई जानी है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त सूचना अधिनियम/नियमों की व्यवस्थानुसार आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त

(गिरीश चन्द्र डालाकोटी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।

यू0ओ0सं0/ /XXXV-2/10–लो0सू0अ0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री अशोक सडाना, ऋषि टॉवर गली नं0–2, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना इस लोक प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सूचना निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित प्रतीत होती है। तद्नुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है।

इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है, कि भविष्य में प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु उपरोक्त विभाग के लोक सूचना अधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(गिरीश चन्द्र डालाकोटी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

दिनांक 31.12.2012

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून।

विषयः—सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन। द्वारा: मुख्यमंत्री कार्यालय, देहरादून

महोदय,

आवेदक को नगर पालिका ऋषिकेश निर्वाचन 2008 के वार्ड सं0 6 के चुनाव मे प्रत्याशी रही श्रीमति शशि रेखा रावत पत्नी दुर्गा सिंह मं0 नं0 100, आशुतोष नगर गली नं0 12 द्वारा जमा कराऐ गऐ नामांकन पत्र/नामांकन पत्रों के साथ संलगन सभी दस्तावेजो के साथ ही उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि जमा कराया गया खर्च का ब्योरा एंव ऋषिकेश नगरपालिका 2008 का चुनाव लड़ चुके कितने प्रत्याशियो द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं कराया गया है । ~~2008~~ 2013 मे चुनाव लडने के अयोग्य प्रत्याशियो के नाम जनहित मे सार्वजनिक करने की कृपा करें

संलग्न
10 रु० का स्टांप पेपर
नं० 10 AA 478145

Ashok आवेदक
अशोक सड़ाना
ऋषि टॉवर गली नं0 2 आशुतोष नगर
ऋषिकेश।

C.O.-2
आज प्राप्त
9/1/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 478145

उप कोषागार

12 APR 2012

ऋषिकेश, देहरादून

R.T.I.